संख्या-85/2018-2974 ई-2/तेरह-2018-06/2010टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 17 सितम्बर, 2018

विषयः-वर्ष 2018-19 हेतु इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 द्वारा संचालित महाराजा एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान मदिरा पिलाने हेतु अनापत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-102/दस-लाइसेंस-77/आई0आर0सी0टी0सी0/2018-19, दिनांक 27 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 द्वारा संचालित महाराजा एक्सप्रेस की निम्नलिखित 05 सफारी ट्रेनों के उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान पर्यटकों की सुविधा हेतु उक्त ट्रेनों में मदिरा पिलाने हेतु शासन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| **1-** | **The Heritage of India** | **Mumbai-Ajanta-Udaipur-Jodhpur-Bikaner-Jaipur-Ranthambore-Agra and Delhi.** |
| **2-** | **The Indian Splendour** | **Delhi-Agra-Ranthmbore-Jaipur-Bikaner-Jodhpur-Udaipur-Balasinor-Mumbai.** |
| **3-** | **Treasures of India** | **Delhi-Agra-Ranthmbore-Jaipur- Delhi.** |
| **4-** | **Gems of India** | **Delhi-Agra-Ranthambore-Jaipur Delhi.** |
| **5-** | **The Indian Panorama** | **Delhi-Jaipur-Ranthambore-FatehpurSikri-Agra-Gwalior-Khajuaraho-Varansi-Lucknow-Delhi.** |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दि0 27 अगस्त, 2018 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास की दृष्टि से इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 (भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न) रजि0 कार्यालय नवां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली को दिल्ली राज्य के लाइसेंस के आधार पर गत वर्ष की भाँति पूर्व शर्तों पर वर्ष 2018-19 के लिये उपरोक्त पांचों सफारी ट्रेनों के उत्तर प्रदेश से गुजरते समय पर्यटकों को मदिरा परोसे जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व निर्धारित शर्तों में यह शर्त भी सम्मिलित कर ली जाय कि प्रदेश में होलोग्राम के स्थान पर क्यू0आर0 कोड लगी प्रतिफल शुल्क अदा की हुई मदिरा का ही विक्रय अनुमन्य होगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( वेद प्रकाश राय )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।